

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि :- 15 फरवरी, 2023

+ अव.वा.(सि.) 415/2022 और सि.वि.आ 18280/2022

अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम  
से मास्टर मेधांश झावर उर्फ माधव

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राहुल मल्होत्रा, अधिवक्ता  
सुश्री श्यल त्रेहान, न्याय मित्र  
के साथ श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता

बनाम

राजेश भूषण और अन्य

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री कीर्तिमान सिंह,  
कें.स.स्था.अधि., सुश्री विधि  
जैन, भारत संघ के लिए  
अधिवक्ता।

श्री तनवीर ओबेरॉय (मो:  
9958935556) और श्री  
जसविंदर सिंह, अधिवक्ता  
(मो: 9811232066)

(30)

सह

+ रि.या.(सि) 5315/2020 और सि.वि.आ 19189/2020, 4237/2023,  
7519/2023

मास्टर अरनेश शॉ

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राहुल मल्होत्रा, अधिवक्ता  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय मित्र  
सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता(मो:7044065747)

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: सुश्री निधि रमन,  
कें.स.स्था.अधि. सह श्री रुद्र  
पालीवाल, अधिवक्तागण।

श्री कीर्तिमान सिंह,  
कें.स.स्था.अधि., सुश्री विधि  
जैन, भारत संघ के लिए  
अधिवक्ता।

श्री रिपु दमन भारद्वाज,  
भारत संघ के लिए  
कें.स.स्था.अधि.।

श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
लिए अधिवक्ता।

श्री धर्मेन्द्र वर्मा व श्री  
अभिषेक यादव,  
बीआईआरएसी के लिए  
अधिवक्ता(मो:9171856779)

डॉ. कनिका, एम्स स्वयं ।

(31)

सह

+ रि.या.(सि) 11610/2017 और सि.वि.आ 27637/2018, 44016/2022

एफएसएमए परमार्थ न्यास

....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय मित्र  
सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री समीर वशिष्ठ,  
अति.स्था.अधि., सिविल  
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सह  
सुश्री संजना नांगिया,  
अधिवक्ता (मो:  
8287936603)  
श्री विजय जोशी, वरिष्ठ  
पैनल अधिवक्ता, भारत संघ  
सह श्री शुभम चतुर्वेदी,  
अधिवक्ता।

श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
लिए अधिवक्ता।

(32)

के साथ

+ रि.या.(सि) 2943/2020 और सि.वि.आ. (नों) 10227/2020, 10228/2020,  
6633/2022, 7534/2023

अलिशबा खान

....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री राहुल मल्होत्रा, अधिवक्ता  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

....प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री अनुज अग्रवाल,  
अति.स्था.अधि., रा.रा.क्षे.दि.  
सरकार, सुश्री आयुषी  
बंसल, श्री संयम सूरी और  
सुश्री अशर्या सिंह, प्रत्यर्थी  
सं.-2 और प्रत्यर्थी सं.-4 के  
अधिवक्ता (मो:  
9891363718)।

श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
लिए अधिवक्ता।

(33)

सह

+ रि.या.(सि) 10782/2020 और सि.वि.आ. 33828/2020

अविराज गर्ग, आयु 4 वर्ष, अपने वाद मित्र और प्राकृतिक पिता श्री अभिनव  
गर्ग के माध्यम से .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार सुश्री श्येल त्रेहान,  
न्याय मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अमृता प्रकाश,  
कें.स.स्था.अधि. और श्री  
विशाल अश्वनी मेहता,  
अधिवक्तागण (मो:  
9818667963) श्री तनवीर  
ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(34)

सह

+ रि.या.(सि) 322/2021 और सि.वि.आ. 812/2021

केशव शर्मा आयु 12 वर्ष, अपने वाद मित्र और प्राकृतिक पिता श्री संजीव  
कुमार के माध्यम से .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री अर्चना सचदेवा,  
अधिवक्तागण (मोबाइल नंबर  
9818758576), श्री अशोक  
अग्रवाल, श्री कुमार उत्कर्ष  
और श्री मनोज कुमार (मो:  
9811101923)  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय मित्र  
सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य

....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अजय दिगपॉल और श्री  
कमल दिगपॉल सह भारत  
संघ की अधिवक्ता सुश्री  
स्वाति क्वात्रा।  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(35)

सह

+ रि.या.(सि) 1491/2021 और सि.वि.आ.(नों) 4291/2021, 8671/2022

मास्टर मेधान्श झावर उर्फ माधव

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राहुल मल्होत्रा, अधिवक्ता

सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय मित्र  
सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

..... प्रत्यर्थागण

द्वारा:

श्री कीर्तिमान सिंह व सुश्री  
विधि जैन, अधिवक्तागण  
(मो: 9999359235) श्री  
तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(36)

सह

+ रि.या.(सि) 1511/2021 और सि.वि.आ. 4331/2021, 8616/2022

मास्टर केनित झावर उर्फ केशव

.....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री राहुल मल्होत्रा, अधिवक्ता  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय मित्र  
सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा:

श्री घनश्याम मिश्रा, प्र-1 के  
अधिवक्ता(मो:9899794006)  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(37)

सह

+ रि.या.(सि) 1611/2021 और सि.वि.आ. 4600/2021

लक्ष्य कुमार गोयल, आयु 8 वर्ष, अपने वाद मित्र  
और प्राकृतिक पिता विपिन कुमार के माध्यम से ..याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय मित्र  
सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ एवं अन्य ।

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री भारती राजू, वरिष्ठ पैनल  
अधिवक्ता सह श्री रोहित  
सिंह, भारत संघ के  
अधिवक्ता(मो:9868895906)  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(38)

सह

+ रि.या.(सि) 3662/2021 और सि.वि.आ.(नों) 11103/2021, 25590/2021,  
32504/2021

पायल भट्टाचार्य

.....याचिकाकर्ता

अव.वा.(सि.) 415/2022 & सम्बन्धित मामलें

पृष्ठ सं. ८



द्वारा: श्री आदित्य चैटर्जी और श्री  
ईशान कार्की, अधिवक्तागण।  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनुज अग्रवाल,  
अति.स्था.अधि., रा.रा.क्षे.  
दिल्ली सरकार, सुश्री आयुषी  
बंसल, श्री संयम सूरी और  
सुश्री अश्या सिंह, प्र-2 के  
लिए अधिवक्तागण (मो:  
9891363718)।  
श्री रिपु दमन भारद्वाज  
भारत संघ के लिए  
कें.स.स्था.अधि.।  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(39)

सह

+ रि.या.(सि) 3682/2021 और सि.वि.आ. 11153/2021

हर्षित सोनी, आयु 16 वर्ष, अपने वाद मित्र

अव.वा.(सि.) 415/2022 & सम्बन्धित मामलें

पृष्ठ सं. ९

और प्राकृतिक पिता श्री टीकम चंद सोनी के माध्यम से .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार।  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री टी. पी. सिंह, प्र-1 के  
लिए वरिष्ठ केंद्रीय सरकार  
अधिवक्ता(मो:9971579687)  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(40)

सह

+ रि.या.(सि) 3689/2021 और सि.वि.आ. 11179/2021

धनंजय भारद्वाज, आयु 11 वर्ष, अपने वाद मित्र  
और प्राकृतिक पिता श्री अमित कुमार के माध्यम से .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)।

सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री संजीव उनियाल और श्री  
धवल उनियाल, प्र-1 के लिए  
अधिवक्ता(मो:9560806614)  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(41)

सह

+ रि.या.(सि) 3706/2021 और सि.वि.आ. 11229/2021

खुशवंत भारद्वाज, आयु 7 वर्ष, अपने वाद मित्र और प्राकृतिक

पिता श्री निखिल भारद्वाज के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(42) सह

+ रि.या.(सि) 3707/2021 और सि.वि.आ.11230/2021

आरव गर्ग, आयु 5 वर्ष अपने वाद मित्र और प्राकृतिक  
पिता श्री विवेक के माध्यम से .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय मित्र  
सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री सिद्धार्थ खटाना, भारत  
संघ के लिए अधिवक्ता (मो:  
9811132326)  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(43) सह

+ रि.या.(सि) 3729/2021 और सि.वि.आ. 11269/2021

मनीष, आयु 8 वर्ष, अपने मुकद्दमेबाज मित्र और प्राकृतिक पिता फूल चंद  
जाट के माध्यम से व अन्य

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र सह श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(44)

सह

+ रि.या.(सि) 3737/2021 और सि.वि.आ. 11277/2021

शौर्य मारु, आयु 7 वर्ष, अपने मुकद्दमेबाज मित्र और प्राकृतिक  
पिता श्री कमल कुमार मारु के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रणवीर सिंह, प्र-1 के  
लिए कें.स.स्था.अधि.  
(मो:9818071061)  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(45)

सह

+ रि.या.(सि) 3859/2021 और सि.वि.आ. 11647/2021

सिद्धार्थ स्वर्णकार, आयु 9 वर्ष, अपने वाद मित्र और  
प्राकृतिक पिता श्री दिनेश कुमार स्वर्णकार के माध्यम से ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनुज अग्रवाल,  
अति.स्था.अधि., रा.रा.क्षे.  
दिल्ली सरकार सह सुश्री

आयुषी बंसल, श्री संयम सूरी  
और सुश्री अश्या सिंह, प्र-1  
से 5 के लिए अधिवक्तागण  
(मो: 9891363718)।

श्री तनवीर ओबेरॉय,  
अधिवक्ता (एम्स)।

(46)

सह

+ रि.या.(सि) 4045/2021 और सि.वि.आ.12213/2021

उत्कर्ष इंद्रजीत पवार, आयु 10 वर्ष, अपने वाद मित्र

और प्राकृतिक पिता श्री इंद्रजीत दामर पवार के माध्यम से .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री संजीव सभरवाल, वरिष्ठ  
पैनल अधिवक्ता सह सुश्री  
श्वेता, भारत संघ की  
अधिवक्ता।

श्री हरीश कुमार गर्ग और  
सुश्री खुशबू शर्मा, भारत संघ

के अधिवक्तागण (मो:  
9810150029)।  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(47) सह

+ रि.या.(सि) 4067/2021 और सि.वि.आ. 12306/2021

अंशु, आयु 10 वर्ष, अपने वाद मित्र और प्राकृतिक पिता  
श्री नरेंद्र कुमार यादव के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री  
मनोज कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)।

सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा:

तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(48) सह

+ रि.या.(सि) 4259/2021 और सि.वि.आ.12948/2021

ईशान, आयु 10 वर्ष, अपने वाद मित्र और



प्राकृतिक पिता श्री राजीव सिंह के माध्यम से

द्वारा:

.....याचिकाकर्ता  
श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)।

सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थी

द्वारा:

श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

श्री रिपुदम भारद्वाज,  
कें.स.स्था.अधि. के साथ श्री  
विनोद तिवारी, प्र-1 और 3  
के लिए अधिवक्ता।

(49)

सह

+ रि.या.(सि) 4304/2021 और सि.वि.आ. 13108/2021

तनव हंडू, आयु 6 वर्ष, अपने वाद मित्र

और प्राकृतिक पिता अमित हंडू के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज

कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)

सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय मित्र  
के साथ श्री रोहन पोद्दार।

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री सत्य रंजन (वरिष्ठ पैनल  
अधिवक्ता), श्री कौटिल्य  
बिराट, भारत संघ के लिए  
अधिवक्तागण।

श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(50)

सह

+ रि.या.(सि) 4551/2021 और सि.वि.आ. 13949/2021

शौर्य दहिया, आयु 7 वर्ष, अपने वाद मित्र

और प्राकृतिक पिता श्री सतबीर दहिया के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)।

सुश्री श्यल त्रेहान, न्याय मित्र  
के साथ श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री अवनीश सिंह,  
(एससीजीसी) और श्री  
आदित्य विक्रम डेमबेला,  
अधिवक्तागण(मो:88264371  
38)।  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(51)

सह

+ रि.या.(सि) 4812/2021 और सि.वि.आ. 14844/2021

निखिल योगेन्द्र सिंह चौधरी, आयु 17 वर्ष, अपने वाद मित्र  
और प्राकृतिक पिता श्री योगेन्द्र पी चौधरी के माध्यम से .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)

सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय मित्र  
के साथ श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

प्र-1 के लिए श्री रणवीर सिंह  
(सीजीएससी)।  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(52)

सह

+ रि.या.(सि) 5394/2021 और सि.वि.आ. 16683/2021

उदयवीर सिंह गुलेरिया, आयु 7 वर्ष, अपने वाद मित्र और  
प्राकृतिक पिता श्री रमेश गुलेरिया के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)।  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(53)

सह

+ रि.या.(सि) 5395/2021 और सि.वि.आ. 16686/2021

मास्टर आयुष्मान चतुर्वेदी

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)।

श्री अनुराग ओझा और दीपक  
सोमानी, अधिवक्ता।

सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री नीरज कुमार, भारत संघ  
के लिए वरिष्ठ केंद्र सरकार  
अधिवक्ता।

श्री जवाहर राजा,  
अति.स्था.अधि. (सि) के साथ  
सुश्री मोक्षा शर्मा, रा.रा.क्षे.  
दिल्ली सरकार के लिए  
अधिवक्ता।

श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

श्री जी.डी. शर्मा, प्र-4 के  
अधिवक्ता।

(54)

सह

+ रि.या.(सि) 9684/2021

आध्यान जायसवाल, आयु 11 वर्ष, अपने वाद मित्र और  
प्राकृतिक पिता श्री अनिल कुमार जायसवाल के माध्यम से ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)।

सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री दिव्यम नंद्राजोग, पैनल  
अधिवक्ता, रा.रा.क्षे. दिल्ली  
सरकार, श्री मो. शाहिद खान,  
श्री मयंक कामरा,  
अधिवक्तागण।  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(55)

सह

+ रि.या.(सि) 14317/2021 और सि.वि.आ. 45148/2021

श्रेयांश आरव, आयु 11 वर्ष, अपने वाद मित्र

और प्राकृतिक मां श्रीमती कंचन कामिनी के माध्यम से ...याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)।

सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री रिपु दमन भारद्वाज,  
भारत संघ के लिए  
कें.स.स्था.अधि.।  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(56)

सह

+ रि.या.(सि) 1182/2022 और सि.वि.आ. 3442/2022

इंशा नाबालिग अपने वाद मित्र और  
प्राकृतिक पिता इरशाद अहमद सोफी के माध्यम से .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार, अधिवक्तागण  
(मो:9662778086)।  
सुश्री श्येल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री संजीव उनियाल और श्री  
धवल उनियाल, प्र-1 के लिए



अधिवक्ता (मो:  
9560806614)।  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(57)

सह

+ रि.या.(सि) 1054/2023 और सि.वि.आ. 4164/2023

मास्टर तुषार अपने वाद मित्र और  
प्राकृतिक पिता श्री जय प्रकाश के माध्यम से

द्वारा:

.....याचिकाकर्ता

श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार

सुश्री श्यल त्रेहान, न्याय मित्र  
के साथ श्री रोहन पोद्दार,  
अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा:

श्री रिपु धवन भारद्वाज,  
कें.स.स्था.अधि. के साथ श्री  
हार्दिक भारत संघ के लिए  
सरकारी अभिवक्ता  
श्री तनवीर ओबेरॉय, एम्स के  
अधिवक्ता।

(58)

और

+ रि.या.(सि) 1079/2023 और सि.वि.आ. 4248/2023

मास्टर रुद्र पवार अपनी वाद मित्र और

प्राकृतिक माता श्रीमती अनु विष्णोई के माध्यम से .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अशोक अग्रवाल, श्री  
कुमार उत्कर्ष और श्री मनोज  
कुमार

सुश्री श्यल त्रेहान, न्याय  
मित्र के साथ श्री रोहन  
पोद्दार, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: रिपु धवन भारद्वाज,  
कें.स.स्था.अधि. के साथ श्री  
हार्दिक अभिवक्ता भारत संघ  
के लिए सरकारी

श्री तनवीर ओबेरॉय,  
अधिवक्ता (एम्स)

कोरम:

न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम.सिंह

न्या., प्रतिभा एम. सिंह (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

2. याचिकाओं का वर्तमान जत्था उन याचीगण द्वारा दायर किया गया है जो ज्यादातर दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चे हैं। याचीगण का मामला यह है कि इन बीमारियों के लिए दवाएं और उपचार बहुत महंगे हैं। न्यायालय द्वारा समय-समय पर इन मामलों की सुनवाई की गई है और याचीगण को उपचार और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं।

### **दुर्लभ रोगों के लिए उपचार, चिकित्सा और दवाओं का स्वदेशी विकास**

3. सुनवाई की पिछली तारीख पर, न्यायालय ने बीआईआरएसी की प्रबंधक निदेशक, सुश्री अलका शर्मा और श्री राजेश गोखले, या श्री गोखले द्वारा नामित जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी, को निर्देश दिया था कि वे डीएमडी रोगियों के संबंध में स्वदेशी उपचार के चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए नैदानिक अध्ययन के लिए धन जुटाने की रूपरेखा का पता लगाने के लिए हनुगेन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करें। उक्त आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है :-

*“13. वर्तमान आदेश को दिनांक 22 दिसंबर, 2022 के आदेश के साथ बीआईआरएसी की प्रबंध निदेशक, सुश्री अलका शर्मा और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सचिव, श्री राजेश गोखले के समक्ष रखा जाए। सुश्री अलका शर्मा और श्री राजेश गोखले, या श्री गोखले द्वारा नामित डीबीटी के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से अनुरोध है कि वे व्यापक हित में डीएमडी के लिए नैदानिक परीक्षण के लिए धन जुटाने की रूपरेखा का पता लगाने के लिए*

हनुगोन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करें। इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेशों से पता चलता है कि दुर्लभ रोगों के लिए अलग रखे गए बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। दिनांक 23 मार्च, 2021 के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है :-

XXX

14. इस प्रकार, सरकार का दायित्व है कि वह स्वदेशी उपचारों का विकास करने के लिए इस अनुसंधान में निवेश करे।

15. कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ 28 रिट याचिकाएं हैं जो दवाओं और उपचारों के लिए धन की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं। सरकार की स्वयं दुर्लभ रोग नीति के अनुसार दवा प्रदान करने के लिए प्रति रोगी 50 लाख रुपये अलग से रखे जाते हैं। इसमें काफी धनराशि खर्च की जाएगी।

16. इस पृष्ठभूमि में, डीएमडी के लिए स्वदेशी उपचारों के विकास और बौद्धिक संपदा और अन्य अधिकारों को सरकार के साथ निहित करने के लिए एक समझौते पर बातचीत के लिए बैठक दिनांक 2 फरवरी, 2023 को शाम 5:00 बजे आयोजित की जाए।

17. डीएआरटी/हनुगोन के प्रतिनिधि जो न्यायालय में उपस्थित हैं, वह भी इस बैठक में भाग लेंगे।

18. प्रभावी विचार-विमर्श को सुनिश्चित करने हेतु सुश्री शायल त्रेहान, विद्वान अधिवक्ता और श्री कीर्तिमान सिंह, विद्वान कें.सर.स्था.अधि. भी इस बैठक में भाग लेगी।

19. बी.आई.आर.ए.सी. से श्री अमित कुमार, जो आज न्यायालय में उपस्थित हैं, इन कार्यवाहियों में हुई घटनाओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी देंगे ताकि प्रभावी विचार-विमर्श किया जा सके।”

4. आज, दिनांक 2 फरवरी, 2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त न्यायालय को सौंप दिया गया है। दुर्भाग्यवश, बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। कार्यवृत्त के अवलोकन से पता चलता है कि बी.आई.आर.ए.सी. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग साझेदारी कार्यक्रम (बी.आई.पी.पी.) से बंधा हुआ है जिसके तहत हनूजेन थेरेप्यूटिक्स प्राइ. लिमि. के साथ सहायता अनुदान समझौता किया गया था। बी.आई.आर.ए.सी. द्वारा लिया गया रुख जिसके अनुसार हनूजेन के लिए परियोजना की पूरी लागत का 50 प्रतिशत का योगदान करना अनिवार्य है।

5. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि मामले को अब स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और परिवार कल्याण (एम.एच. एंड एफ.डब्ल्यू.) को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जो डीएमडी सहित दुर्लभ रोगों के लिए उपचार के परीक्षण के लिए किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों के संबंध में निर्णय लेगा।

6. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 ,29 नवंबर, 2022 और 9 दिसंबर, 2022 को पारित आदेशों को एमएच&एफडब्ल्यू के सचिव के विद्वान के.सर.स्था.अधि. श्री कीर्तिमान सिंह जो सुनवाई की अगली तारीख तक एक शपथ पत्र के माध्यम से मंत्रालय के रुख को अभिलेख पर दर्ज कराएँगे।

7. एमएच&एफडब्ल्यू को सुनवाई की अगली तारीख पर न्यायालय की कार्यवाही में शामिल होने के लिए कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी प्रतिनियुक्त करेगा।

### उपचार की शुरुआत

8. प्रत्येक याचिकाकर्ता दिनांक 14 दिसंबर, 2021 के आदेश के संदर्भ में अपने उपचार शुरू करने के लिए एम्स, नई दिल्ली या संबंधित उत्कृष्ट केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित निर्देश शामिल हैं:-

*“5. प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा लिए गए पूर्वोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो यह दर्शाता है कि उनका यह सुनिश्चित करने का हर इरादा है कि ‘दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021’ के अंतर्गत आने वाले बच्चों को सभी चिकित्सा सहायता मिले, मेरा मानना है कि एक बार यह स्वीकृत है कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा लागू उक्त नीति याचीगण जैसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए, उन्हें पीड़ित नहीं किया जा सकता है। उनके उपचार शुरू करने में कोई भी देरी घातक साबित हो सकती है और उसी उद्देश्य को विफल कर सकती है जिसके लिए उपरोक्त नीति*

बनाई गई थी। इसलिए मेरी यह सुविचारित राय है कि इस न्यायालय के समक्ष याचीगण के उपचार शुरू करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए जाने चाहिए। तदनुसार यह निर्देशित किया जाता है कि एम्स या अन्य किसी उत्कृष्ट केन्द्र, जैसा भी मामला हो, जिन केंद्रों का विवरण भारत संघ द्वारा अपने दिनांक 28 सितंबर, 2021 के शपथ पत्र में प्रस्तुत किया गया है, द्वारा उपचार तत्काल शुरू किया जाए। इन उत्कृष्ट केन्द्रों के नाम नीति में ही विधिवत् उल्लिखित हैं। इन बच्चों का इलाज शुरू करने के लिए एम्स और अन्य उत्कृष्ट केंद्रों को दिए गए निर्देश में इन बच्चों को आवश्यक दवाएं प्रदान करने का निर्देश भी शामिल होगा, जिसकी लागत भारत संघ द्वारा वहन की जाएगी। यह सुनिश्चित करना भारत संघ का उत्तरदायित्व होगा कि एम्स सहित सभी उत्कृष्ट केंद्रों को जब भी आवश्यक हो तब आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए।

6. यह आशा की जाती है कि अगली तारीख तक भारत संघ नीति के कार्यकरण में शेष मुद्दों को सुलझा लेगा जिससे कि नीति के दायरे में आने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को भी जल्द से जल्द आवश्यक उपचार प्रदान किया जा सके। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल द्वारा आश्वासन दिया गया है, भारत संघ कथित न्यायालय के समक्ष पड़ी लगभग 53 करोड़ रुपये की राशि के हस्तांतरण के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन को आगे बढ़ाएगा, जो राशि एकत्र की गई थी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले ही किसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित एक बच्चे के उपचार के लिए पारित आदेशों में उल्लेख किया गया है, जिसने कथित राशि का उपयोग किए जाने से पहले ही कथित बीमारी के कारण दम तोड़ दिया था। यह न्यायालय यह भी आशा करता है कि न्यायालय में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

द्वारा दिए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक विवरणियों के निष्कर्षों के संकलन से उभरने वाले तथ्यों के आलोक में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ऑनलाइन क्राउड फंडिंग वेबसाइट यानी <http://rarediseases.nhp.gov.in/> पर दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए सृजित निधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उनके सीएसआर योगदान के कम से कम एक हिस्से के अपयोजन के महत्व को समझाया जा सके।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन बच्चों के उपचार के लिए भारत संघ द्वारा खर्च की गई यह राशि, जिसमें इसमें याचिकाकर्तागण के लिए दवाओं की खरीद के लिए राशि विशेष रूप से समर्पित पोर्टल पर स्थापित खाते में प्राप्त निधियों से समायोज्य होगी, या उक्त उद्देश्य के लिए बनाए गए किसी अन्य उपयुक्त निधि से जो भारत संघ के पास उपलब्ध हो।"

9. न्यायालय ने आदेश दिनांकित 30 जनवरी, 2023 के माध्यम से एम्स को मैसर्स सारेप्टा पर दवा का क्रय आदेश / आपूर्ति आदेश न देने के संबंध में एक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था।

10. एम्स की ओर से एक शपथ पत्र दिनांकित 30 जनवरी, 2023 दायर किया गया है, जिसमें डीएमडी दवाओं के लिए सारेप्टा के वितरक, मैसर्स माई टुमोरोज हेडक्वार्टर पर 31 जनवरी, 2023 को जारी किए गए बीजक की एक प्रति को अभिलेख पर रखा गया है। एम्स के विद्वान अधिवक्ता, निर्देश के तहत, प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि आपूर्ति आदेश में 17 मार्च, 2023 को सुपुर्दगी की तिथि के रूप में उल्लिखित किया है, लेकिन सारेप्टा



के साथ उनके पत्राचार के आधार पर दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक दवाओं की सुपुर्दगी होने की उम्मीद है।

11. इस स्तर पर, न्यायालय को सूचित किया गया है कि मैसर्स सारेप्टा ने उसी दवाओं के लिए भारत में नैदानिक परीक्षणों के लिए पंजीकरण किया है जो एम्स द्वारा खरीदी जा रही है। इसके अतिरिक्त, एम्स दिल्ली का भी सारेप्टा के नैदानिक परीक्षण केन्द्रों में से एक होना कथित है।

12. इसे ध्यान में रखते हुए, डीसीजीआई को मैसर्स सारेप्टा के परीक्षण या डीएमडी, गौचर या हंटर सिंड्रोम थेरेपी के संबंध में उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परीक्षण के विवरण के बारे में एक शपथ पत्र दायर किया जाना चाहिए।

13. डीसीजीआई कार्यालय का एक सक्षम अधिकारी भी सुनवाई की तारीख पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

14. विद्वान के.स.स्था.अधि. श्री कीर्तिमान सिंह द्वारा वर्तमान आदेश अनुपालन हेतु डीसीजीआई को संसूचित किया जाए।

### **रि.या.(सि) 2943/2020**

15. सुश्री अलिश्बा खान के मामले में, जो गौचर से पीड़ित है, इसे विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जनवरी, 2023 तक एम्स द्वारा

दवाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं। हालांकि, इसके बाद, उपचार रोक दिया गया है। इसके जवाब में, एम्स की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कि उक्त रोगी के संबंध में प्राप्त धन समाप्त हो जाने के कारण उपचार को रोकना पड़ा।

16. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एम्स, दिल्ली, दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है और यह दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021 के तहत उत्कृष्टता केंद्र के संघ का नोडल केंद्र भी है, और इस न्यायालय में बड़ी संख्या में रोगियों ने याचिका दायर की है जिनके लिए दवाओं की आवश्यकता है, को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि भारत सरकार द्वारा एम्स, दिल्ली को तुरंत 5 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों का उपचार, जहां यह पहले से ही शुरू हो चुका है, धन की कमी के कारण बंद न हो।

17. उक्त धन आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।

18. इस धनराशि को किस तरह से खर्च किया जा रहा है, इसका पूरा लेखा-जोखा एम्स, नई दिल्ली की दुर्लभ रोग समिति के प्रमुख डॉ. काबरा की सीधी देखरेख में एम्स, दिल्ली द्वारा रखा जाएगा। धन प्राप्त होने पर, एम्स द्वारा तुरंत दवाओं की खरीद की जाएगी और उपचार फिर से शुरू किया जाएगा।

19. रि.या.(सि) 1491/2021 और रि.या.(सि) 1511/2021 में याचिकाकर्ताओं के संबंध में अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचीगण के संबंध में उपचार, जो दोनों हंटर सिंड्रोम से पीड़ित हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
20. डॉ. कनिका, जो आज न्यायालय में उपस्थित हैं, ने प्रस्तुत किया कि तकेडा फार्मास्यूटिकल्स को आदेश दे दिए गए हैं और दवाएं प्राप्त करने के बाद, उपचार बिना देरी किए शुरू कर दिया जाएगा।
21. भारत सरकार को एक सप्ताह की अवधि के भीतर एक शपथ पत्र रिकॉर्ड पर रखना चाहिए, जिसमें दुर्लभ रोग धन से विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों को जारी की गई धन की पूरी जानकारी और रोगियों की संख्या दी जाए, जिनके लिए आज तक उपचार को मंजूरी दी गई है।
- 22 प्रो.(डॉ.) मधुलिका काबरा से अगली सुनवाई की तारीख आभासी तरीके से शामिल होने का अनुरोध किया जाता है।
23. 1 मार्च, 2023 को सूचीबद्ध किया जाए।

**प्रतिभा एम सिंह**  
**न्यायाधीश**

**15 फरवरी, 2023**  
राहुल/डीजे/एसके

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद वाद के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।